सत्यमेव जयते
न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/**Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/**Ministry of Social Justice & Empowerment**
भारत सरकार/**Government of India**
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

मामला संख्या: 14718/1021/2023

विषय में:

श्री शेखर आज़ाद पुरूषोत्तम **...शिकायतकर्ता**

बनाम

सचिव, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली **...प्रतिवादी संख्या 1**
महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे, चेन्नई **...प्रतिवादी संख्या 2**

1. मामले का सार:

1.1 श्री शेखर आज़ाद पुरूषोत्तम, जो 60% एल.डी. (लोकोमोटर डिसएबिलिटी) से ग्रसित हैं, ने दिनांक 05.12.2023 को शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें वर्ष 2018 में आरआरबी चेन्नई के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग कोटे में ट्रैफिक अप्रेंटिस पद के लिए चयनित किया गया था। उन्होंने 13 अगस्त 2018 को कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में पेरुगमणि रेलवे स्टेशन, सलेम मंडल में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं। कई बार स्मरण पत्र और अनुरोध देने के बावजूद, उनकी वरिष्ठता गलत तरीके से निर्धारित की गई है।

1.2 शिकायतकर्ता और उनके सहकर्मी अरुण कुमार सिंह, दोनों को ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) श्रेणी के अंतर्गत एक ही दिन (13.08.2018) को नियुक्त किया गया और दोनों ने एक ही प्रशिक्षण बैच में भाग लिया। दोनों ने 13 अगस्त 2018 से 17 अगस्त 2019 तक एक ही प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें शिकायतकर्ता ने 72.10% अंक प्राप्त किए जबकि अरुण कुमार सिंह ने 68.71%। दोनों ने 31 अगस्त 2019 को अपनी-अपनी पोस्टिंग ज्वाइन की, फिर भी शिकायतकर्ता की वरिष्ठता सूची में रैंक 147वां है जबकि अरुण कुमार सिंह का 128वां स्थान है।

1.3 एक अन्य सहकर्मी, नंदे चौहान, जिन्होंने शिकायतकर्ता के बाद 20.08.2018 को ज्वाइन किया, फिर भी उनसे ऊपर रैंक पर हैं, जिससे वरिष्ठता निर्धारण में त्रुटि स्पष्ट होती है। IREM Vol-I, Chapter 3, Para 303(a) के अनुसार, वरिष्ठता प्रशिक्षण बैच और पहले प्रयास में उत्तीर्णता के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, जो इस मामले में लागू नहीं हुआ।

1.4 शिकायतकर्ता ने 09.08.2021 से इस विषय में कई बार प्रतिनिधित्व किया। अंतिम उत्तर (10.11.2023) में कहा गया कि वरिष्ठता प्रशिक्षण की समाप्ति तिथि पर आधारित है। शिकायतकर्ता चाहते हैं कि उनकी वरिष्ठता की पुन: समीक्षा कर सही की जाए और अन्य की भी IREM दिशानिर्देशों के अनुसार जांच हो।

2. प्रतिवादी को नोटिस जारी:

2.1 दिनांक 26.12.2023 को इस न्यायालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 75 और 77 के तहत रेलवे बोर्ड के सचिव, नई दिल्ली तथा महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे, चेन्नई को नोटिस जारी किया गया, जिसमें 30 दिनों के भीतर शपथ-पत्र के माध्यम से टिप्पणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

3. प्रतिवादी द्वारा उत्तर:

3.1 प्रतिवादी संख्या 2 (श्री पी.के. साउंड्रा पांडियन, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, सलेम) द्वारा ईमेल दिनांक 25.01.2024 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि शिकायतकर्ता की वरिष्ठता मंडल कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई थी, रेलवे बोर्ड द्वारा नहीं। शिकायतकर्ता और अरुण कुमार सिंह दोनों को 13.08.2018 को ट्रैफिक अप्रेंटिस पद पर नियुक्त किया गया, 300 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और 2019 में स्टेशन मास्टर पद पर पोस्टिंग मिली। फिर भी दोनों की वरिष्ठता रैंक में अंतर है (अरुण: 128, आज़ाद: 147)।

3.2 प्रतिवादी ने कहा कि IREM के अनुसार अंतिम प्रशिक्षण के कुल अंकों के आधार पर वरिष्ठता तय की जाती है। रेलवे बोर्ड के 03.01.2019 के निर्णय अनुसार, स्टेशन मास्टर प्रशिक्षण की समाप्ति तिथि से प्रतीकात्मक (notional) वरिष्ठता के साथ संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाई जाती है।

3.3 ट्रैफिक अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर की पैनल सूची रेलवे बोर्ड के निर्देश अनुसार विलय कर दी गई थी। सीबीटी नॉर्मलाइज़ेशन अंकों के आधार पर अरुण कुमार सिंह को पहले बैच में रखा गया, जिससे उन्हें शिकायतकर्ता से अधिक वरिष्ठता मिली। प्रतिवादी के अनुसार वर्तमान वरिष्ठता IREM के अनुसार है और इसे संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर:

4.1 शिकायतकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर (07.02.2025) में प्रशिक्षण तिथि में टाइपographical त्रुटि को स्वीकार किया और वरिष्ठता सूची में प्रतिवादी द्वारा बताए गए विरोधाभासों और त्रुटियों को चुनौती दी। शिकायतकर्ता ने विकलांग कर्मचारियों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को रेखांकित किया, जैसे कि उनकी चलने-फिरने की असुविधा और योग्य होने के बावजूद पदोन्नति से वंचित किया जाना। उन्होंने अपनी मेडिकल श्रेणीकरण को भी चुनौती दी और प्रतिवादी के उत्तर को भ्रामक व भेदभावपूर्ण बताया।

5. सुनवाई:

5.1 दिनांक 04.04.2025 को सुनवाई हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन/ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) में आयोजित की गई। उपस्थित प्रतिनिधि निम्नलिखित थे:

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	पक्ष	माध्यम
1.	श्री शेखर आज़ाद पुरूषोत्तम	शिकायतकर्ता	ऑनलाइन
2.	पी.के. साउंड्रा पांडियन, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिण रेलवे, सलेम मंडल	प्रतिवादी संख्या 2	ऑनलाइन

6. कार्यवाही का विवरण:

6.1 आयुक्त ने शिकायतकर्ता से पूछा कि वे वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में क्या राहत चाहते हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दोहराई। न्यायालय ने अवलोकन किया कि वरिष्ठता सेवा संबंधी विषय है और इसमें विकलांगता का कोई प्रभाव नहीं होता।

6.2 शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्हें 03.03.2025 को स्टेशन मास्टर कार्य हेतु चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया, जिससे वरिष्ठता का मुद्दा अप्रासंगिक हो गया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि विकलांगता का प्रभाव केवल पदोन्नति (विशेषतः अधिग्रहित विकलांगता) पर पड़ता है, और DoPT के 2022 निर्देश अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण विकलांगता प्रमाण पत्र की तिथि या नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, के अनुसार होता है।

6.3 शिकायतकर्ता ने 2018 में नियुक्ति के समय फिट घोषित किया गया था लेकिन हाल ही की चिकित्सकीय जांच में उन्हें स्टेशन मास्टर कार्य हेतु अयोग्य घोषित किया गया। प्रतिवादी ने स्पष्ट किया कि उन्हें सेवा से नहीं निकाला गया है बल्कि वैकल्पिक पद दिया गया है क्योंकि पोस्ट पोलियो पक्षाघात के कारण वे स्टेशन मास्टर का कार्य नहीं कर सकते।

6.4 न्यायालय ने पाया कि यद्यपि शिकायत वरिष्ठता को लेकर थी, सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि चिकित्सकीय अयोग्यता के कारण भेदभाव का विषय भी सामने आया है। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि वे अभी भी सेवा में कार्यरत हैं और उन्हें सेवा से पृथक नहीं किया गया है।

7. टिप्पणियाँ / सिफारिशें:

7.1 न्यायालय ने माना कि वरिष्ठता निर्धारण एक सेवा से संबंधित विषय है और सामान्यतः सीसीपीडी (मुख्य आयुक्त) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हर वह मुद्दा जो विकलांग व्यक्ति से जुड़ा हो, जरूरी नहीं कि वह RPwD अधिनियम, 2016 के तहत अधिकारों का उल्लंघन हो। हालांकि, शिकायतकर्ता को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाना RPwD अधिनियम की धारा 20(3) और 04.01.2021 की राजपत्र अधिसूचना के नोट 3 का prima facie उल्लंघन प्रतीत होता है, जो यह स्पष्ट करता है कि केवल विकलांगता के कारण पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता।

7.2 न्यायालय ने शिकायतकर्ता को सलाह दी कि वे वैकल्पिक नियुक्ति और चिकित्सकीय अयोग्यता के कारण संभावित भेदभाव पर केंद्रित नई शिकायत दर्ज करें। प्रतिवादी इस पर 30 दिनों के भीतर उत्तर प्रस्तुत करें ताकि आगे विचार किया जा सके।

7.3 इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, यह मामला समाप्त किया जाता है।

(एस. गोविंदराज)
दिव्यांगों के लिए आयुक्त

सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/**Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/**Ministry of Social Justice & Empowerment**
भारत सरकार/**Government of India**
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No./CCPD/14718/1021/2023

In the matter of:

Shri Shekhar Azad Purushottam **…Complainant**

Versus

The Secretary,
Railway Board
New Delhi **…Respondent no. 1**

The General Manager
Southern Railway
Chennai **…Respondent no. 2**

1. Gist of the Case:

1.1 Ch. Shekhar Azad Purushottam, a person with 60% LD, filed a Complaint dated 05.12.2023, stating that he was selected for the post of Traffic Apprentice through RRB Chennai in 2018 under the Physically Handicapped Quota. He joined on August 13, 2018, and is currently posted as Station Master at Perugamani Railway Station, Salem Division. Despite multiple representations and reminders, his seniority has been incorrectly calculated.

1.2 The Complainant and his colleague, named Arun Kumar Singh, were selected under the OBC (NCL) category, with the same date of appointment, i.e., 13.08.2018, and part of the same training batch. Both attended the same training

and passed with comparable marks. However, the Complainant has ranked lower in seniority at 147th position compared to Arun's 128th position in the latest seniority list. Both candidates attended the same training program from August 13, 2018, to August 17, 2019, where the Complainant scored a higher aggregate mark of 72.10% than Arun, at 68.71%. Both joined their respective stations on August 31, 2019.

1.3 Another colleague, Nandey Chouhan, who joined after the Complainant on 20.08.2018, is also ranked higher, underscoring the discrepancy. As per IREM Vol-I, Chapter 3, Para 303(a), seniority should be based on batch and success in first attempt; this has not been followed in the Complainant's case.

1.4 The Complainant repeatedly raised the issue since 09.08.2021 through various representations. The final response (10.11.2023) stated seniority is tied to the completion date of training. The Complainant seeks correction of his seniority and reassessment of others as per IREM guidelines.

2. Notice issued to the Respondent:

2.1 A notice dated 26.12.2023 was issued by this Court under Sections 75 and 77 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (hereinafter referred to as "the RPWD Act"), to the Secretary, Railway Board, New Delhi and The General Manager, Southern Railway, Chennai for forwarding their comments on affidavit on the complaint within 30 days to this Court.

3. Reply filed by the Respondent:

3.1 Respondent No. 2, through Shri P.K. Soundra Pandian, Sr. Divisional Personnel Officer, Salem, submitted (email dated 25.01.2024) that the Complainant's seniority was fixed by the divisional office, not the Railway Board. Both the Complainant and Arun Kumar Singh were appointed as Traffic Apprentices on 13.08.2018, underwent 300 days' training, and were posted as Station Masters in 2019, but with different seniority ranks (Arun: 128, Azad: 147).

3.2 Respondent stated that IREM requires seniority to be based on aggregate marks in the final training. Railway Board's 03.01.2019 decision mandates a combined seniority list with notional seniority from completion of Station Master training.

3.3 The panels for Traffic Apprentices and Station Masters were merged as per the Railway Board's instructions. Based on CBT normalization marks, Arun Kumar Singh was placed in an earlier batch, resulting in higher seniority than the Complainant. Respondent argues the current seniority complies with IREM and does not require revision.

4. Rejoinder Filed By the Complainant:

4.1 In his rejoinder (07.02.2025), the Complainant acknowledged a typographical error in training dates and challenged contradictions and errors in the

seniority list as claimed by the Respondent. The Complainant highlighted challenges faced by PwBD employees, including his own mobility issues and alleged unfair denial of promotion despite eligibility. He disputes his medical categorisation and claims the Respondent's reply is misleading and discriminatory.

5. Hearing:

5.1 A Hearing was conducted on**04.04.2025** in hybrid mode (Offline/Online through Video Conferencing). The following parties/representatives were present during the hearing:

Sl. No.	Name & Designation of the Parties/Representatives	For Complainant/ Respondent	Mode of Attendance
1	Shri. Ch. Shekhar Azad Purushottam	Complainant	Online
2	P.K. Soundra Pandian – Senior Divisional Personnel Officer, Southern Railway, Salem Division	Respondent No. 2	Online

6. Record of Proceedings:

6.1 The Commissioner asked the complainant to clarify the relief sought regarding seniority fixation. The Complainant reiterated his grievance. The Court observed that seniority is a service matter and disability does not influence its fixation.

6.2 The Complainant then submitted that he was declared medically unfit for Station Master duties on 03.03.2025, making seniority moot. The Court noted disability affects only promotion (mainly for acquired disability) and, as per DoPT's 2022 instructions, seniority is determined by the date of disability certificate or joining, whichever is later.

6.3 The Complainant was initially fit at joining in 2018 but was declared unfit for Station Master duties after a recent medical assessment. Respondent clarified he was not discharged but given an alternate post, as he is unable to perform Station Master duties due to post-polio paralysis.

6.4 The Court noted that while the complaint was about seniority, the hearing raised concerns about possible discrimination due to disability. The Complainant clarified he continues in employment and has not been discharged.

7. Observations/ Recommendations:

7.1 The Court holds that seniority fixation is a service matter and generally outside CCPD's jurisdiction. Not every issue concerning a person with disability is a rights violation under the RPwD Act, 2016. However, the Complainant's medical disqualification raises a prima facie violation of Section 20(3) of the RPwD Act and

Note 3 of the 04.01.2021 Gazette, which prohibits the denial of promotion solely due to disability.

7.2 The Court advises the complainant to file a fresh complaint focused on an alternate appointment and possible discrimination due to medical disqualification. The respondent may reply within 30 days for further consideration.

7.3 In view of these recommendations, the matter is disposed of.

Digitally signed by
S Govindaraj
Date: 15-12-2025
10:56:58

(S. Govindaraj)
Commissioner for Persons with Disabilities